—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 16/2023

उनवान

1. महावीर पुत्र रामलाल
2. उगमा पुत्र हीरा
3. पोखर पुत्र हीरा
4. रामपाल पुत्र हीरा
5. मदनलाल पुत्र नाथू
6. फूमा पत्नी नाथू
7. शिवलाल पुत्र जीवण समसत जाति गुर्जर निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
8. प्रहलाद पुत्र रामदेव पौत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम सनोद,
9. घीसालाल पुत्र छीतर
10. रामधन पुत्र छीतर
11. गोपाल पुत्र भैरू
12. प्रभुलाल पुत्र भैरू
13. राजी पत्नी भैरू
14. बबलू पुत्र सावंरा
15. कालूराम पुत्र छोगा
16. जीवणी पुत्री भूरा
17. फूमा पुत्री भूरा
18. मंगल पुत्र भूरा
19. हरलाल पुत्र भूरा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बहादुर पुत्र भागचन्द पौत्र मिश्री
2. मंजू पत्नी कैलाश
3. हंसादेवी पत्नी शिवराज
4. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल
5. मंगलचन्द पुत्र रामदयाल
6. रामकिशन पुत्र नन्दा
7. रामगोपाल पुत्र नन्दा
8. शान्ति देवी पत्नी रामदयाल
9. गीता पुत्री नन्दा
10. सोनी पुत्री नन्दा
11. पुखराज पुत्र महावीर
12. देवराज पुत्र महावीर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:50 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

13. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक देराठू, नसीराबाद
14. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1, 4 से 8 जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
9 से 13 अनुपस्थित, 14 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 21.4.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.08 प्रार्थी संख्या 1 के नाम, 3653 रकबा 0.9, 3659 रकबा 0.14 प्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम, 3688/6201 रकबा 0.12 प्रार्थी संख्या 5 से 7 के नाम व ,खसरा नम्बर 5655 व 5656 प्रार्थी संख्या 8 के दादा हजारी के नाम, खसरा नम्बर 7114/3688 रकबा 0.04 प्रार्थी संख्या 9 के नाम व 7115/3688 रकबा 0.07 प्रार्थी संख्या 10 के नाम व खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.10 प्रार्थी संख्या 15 से 19 के नाम खातेदारी दर्ज है। वेदनकत्रा अपनी उक्त आराजी में आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 3486 रकबा 1.93 सडक से होकर हाल खसरा नम्बर 3513, 3511 अप्रार्थी संख्या 4 से 12 की खातेदारी भूमि में से होकर खसरा नम्बर 3510 रकबा 0.03 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी में से होकर हाल खसरा नम्बर 3501, 3499, 3500 अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज मिश्री की खातेदारी भूमि में से होकर सिावयचक भूमि खसरा नम्बर 3634, 3512, 3499/6182, 3651 अप्रार्थी संख्या 14 राजस्थान सरकार की भूमि में होकर आवेदनकर्ता अपनी भूमि पर प्रवेश करते है। अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4 से 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 के अनुसार खसरा नम्बर 3713 गै.मु. रास्ता दर्ज है।आवेदनकर्ता अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3564 में पहुचने के लिये खसरा नम्बर 3713 से शुरू होकर खसरा नम्बर 3677, 3674, 3684, 3686, 3687 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है।मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदनकर्ता इसी रास्तें का उपयोग करता है। उक्त रास्ता लघुतम है। अतः प्रार्थीगण को उक्तानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश पारित करावे।

तहसीलदार नसीराबद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से ग्राम सनोद में स्थित खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से नवीन रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दो मार्ग बताये गये है। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रसतावित मार्ग चाहे गये मार्ग से छोटा है। प्रस्तावित मार्ग [illegible] भूमि जबकि चाहे गये मार्ग में कुल 3654 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। प्रस्तावित मार्ग [illegible] जिन खातेदारों से भूमि ली जानी है वह प्रकरण में पक्षकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार चाहे गये मार्ग में खसरा नम्बर 3512 व 3634 की किस्म गै.

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मु. मोरी है। तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग दिया जाना अनुचित बताया गया हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि से मार्ग चाहा गया है उक्त मार्ग के बीच में खसरा नम्बर 3512 व 3634 भूमि आती है जिसकी किस्म गै.मु. मोरी है जो कि प्रतिबंधित किस्म होने से मार्ग दिया जाना संभव नही है। प्रस्तावित मार्ग में आने वाली भूमि के खातेदार प्रकरण में पक्षकार नही है। तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी प्रार्थीगण द्वारा हितबद्व व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसारः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु नवीन मार्ग के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:50 IST
Reason: SelfAttested